

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में मृत 07 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 700000/- (सात लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम(संबंध) | जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि | मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० मुन्ना पासवान, श्री रामप्रसाद पासवान, अनु० जाति | श्रीमती सिकान्ती कुँवर(पत्नी) | 975/3.12. 2018 | ग्रा०+पो०-देवरिया कला, था०-फेसर, प्र०+जि०-औरंगाबाद | 274200010 0147554 | PNB, Phesar, PUNB027420 0 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 2 | स्व० सुधीर कुमार, श्री बैजनाथ महतो, पि० वर्ग | श्री बैजनाथ महतो(पिता) | 976/3.12. 2018 | ग्रा०-बेला, पो०+था०+ प्र०+जि०-औरंगाबाद | 313510800 4349 | Canara Bank, Aurangabad, CNRB000313 5 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, ट्रैक्टर चालक व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 3 | स्व० अर्जुन महतो, श्री भरत महतो, पि० जाति | श्रीमती संगीता देवी(पत्नी) | 977/3.12. 2018 | ग्रा०-हसौली टोले कोईरी विगहा, पो०-कुंडा, था०-मुफ्सील औरंगाबाद, प्र०-देव, औरंगाबाद | 755601000 03762 | MBGB, Rawal Bigha, PUNBOMBG 806 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, निर्माण मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 4 | स्व० सुरेन्द्र ठाकुर, स्व० सिपाही ठाकुर, पि० वर्ग | श्रीमती मंजू देवी(पत्नी) | 979/3.12. 2018 | ग्रा०-मंझिआँव(न्यू नगर), पो०-महुआँव, था०-बड़ेम, प्र०-नवीनगर, औरंगाबाद | 745017000 05762 | MBGB, Manjhiawan PUNBOMBG 806 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, राज मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 5 | स्व० गोरख चौधरी, श्री रामजन्म चौधरी, अनु० जाति | श्रीमती पुष्पा देवी(पत्नी) | 980/3.12. 2018 | ग्रा०-भवानोखाप, पो०+था०+प्र०-नवीनगर, औरंगाबाद | 398158718 1 | Central bank of India, Nabinagar, CBIN0283354 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, राज मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 6 | स्व० रामदीप मेहता, श्री शिव मेहता, पि० वर्ग | श्रीमती समुन्दरी देवी(पत्नी) | 981/3.12. 2018 | ग्रा०-कुरहमा टोला विसुन विगहा, पो०-कुरहमा, था०+ प्र०+जि०-औरंगाबाद | 280100170 0063873 | PNB Obra, PUNB028010 0 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 7 | स्व० रामलखन यादव, स्व० बुधु यादव, पि० वर्ग | श्रीमती लालमुनी देवी(पत्नी) | 982/3.12. 2018 | ग्रा०-बासेखाप टोला ढीबरा, पो०-चौरिया, था०-फेसर, प्र०+जि०-औरंगाबाद | 319602538 01 | SBI, Aurangabad, SBIN0000013 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर |

कुल :- ₹ 700000/-

(सात लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-31/2018 के पृष्ठ-07/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-31/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-31/2018-35

पटना, दिनांक :- 28-01-19

सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 700000/- (सात लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/01/19

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

28/01/19

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

28/01/19

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।